

STEM प्रशिक्षण दिशा-निर्देश 2025-26

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समग्र शिक्षा के अधिकारियों, संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के निरंतर क्षमता संवर्द्धन की अभिशंषा की गई है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) शिक्षा पर भी अधिक ध्यान देने हेतु अभिशंषा की गई है। STEM शिक्षा भविष्य के लिए कुशल नागरिक तैयार करने और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने का एक प्रमुख माध्यम है। वार्षिक कार्ययोजना 2025-26 में गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों के STEM शिक्षा आधारित क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदित है। **वार्षिक कार्ययोजना 2025-26 में अनुमोदित प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु विवरण सहित विस्तृत दिशा.निर्देश निम्नानुसार है-**

1. प्रशिक्षण विवरण

क्र.सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	यूनिट कोस्ट	संभागी	आयोजन का स्तर	प्रशिक्षण दिवस	प्रस्तावित समयावधि	व्यय मानदण्ड	अनुमोदित मद (समग्र शिक्षा/स्टाफ़ी)
1.	कक्षा 6 से 10 में विज्ञान एवं गणित विषय का अध्यापन कराने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण							
1.1	एसआरजी प्रशिक्षण प्रथम चरण	1500 रुपये प्रति संभागी प्रति दिवस	41 जिलों में क्रियाशील राजकीय विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या के आधार पर 177 SRG	राज्य स्तर पर IASE, अजमेर	6 दिवस आवासीय	25 से 30 अगस्त 2025 तक में प्रस्तावित	टेबल संख्या-1 के अनुसार	समग्र शिक्षा Training of Teachers Class VI to VII (Government Schools) HMs

क्र.सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	यूनिट कोस्ट	संभागी	आयोजन का स्तर	प्रशिक्षण दिवस	प्रस्तावित समयावधि	व्यय मानदण्ड	अनुमोदित मद (समग्र शिक्षा/स्टार्सी)
1.2	एसआरजी प्रशिक्षण द्वितीय चरण	1500 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	41 जिलों में क्रियाशील राजकीय विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या के आधार पर 177 SRG	राज्य स्तर पर IASE, अजमेर	4 दिवस आवासीय	3 से 6 दिसम्बर 2025 तक में प्रस्तावित	टेबल संख्या-2 के अनुसार	
1.3	MT/KRP प्रशिक्षण	1000 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	41 जिलों में संचालित राजकीय विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या के आधार पर 3306 KRP जिले के लक्ष्यानुसार (परिशिष्ट-ब)	जिला स्तर	4 दिवस आवासीय	5 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2025 तक प्रस्तावित	टेबल संख्या-3 के अनुसार	
1.4	विज्ञान एवं गणित शिक्षक प्रशिक्षण (कक्षा 6 से 10)	500 रूपये प्रति संभागी प्रति दिवस	जिले के लक्ष्यानुसार (परिशिष्ट-ब)	ब्लॉक स्तर	3 दिवस गैर-आवासीय	15 से 30 सितम्बर 2025 तक प्रस्तावित	टेबल संख्या-4 के अनुसार	

2. विज्ञान एवं गणित विषय आधारित STEM शिक्षा हेतु राज्य संसाधन समूह की क्षमता संवर्धन योजना –

- राज्य स्तर पर एक सशक्त एवं प्रशिक्षित संसाधन समूह (SRG) का निर्माण किया जाना है, जो केवल केआरपी प्रशिक्षण तक सीमित न रह कर सतत् शैक्षणिक सहयोग प्रदान कर सके। एसआरजी की क्षमता संवर्धन के माध्यम से विज्ञान एवं गणित विषयों में शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाया जाना है। एसआरजी राज्य के लिए एक स्थाई और सशक्त शैक्षणिक तंत्र के रूप में विकसित होंगे जिनके सहयोग से वर्तमान अकादमिक सत्र एवं आगामी सत्रों में भी निरन्तर

विज्ञान एवं गणित विषयों में शिक्षकों की अवधारणा स्पष्टता एवं शिक्षण दक्षता में वृद्धि होगी। एसआरजी समूह को कार्यशालाओं, डेमो विजिट के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। जिससे कि वे राज्य के लिए एक रिसोर्स टीम के रूप में कार्य कर सकें। चयनित एसआरजी सदस्यों द्वारा कार्यशालाओं, विषय वस्तुत निर्माण, पदस्थापित विद्यालय में शोध कार्य, ऑनलाइन सत्र, विद्यालय भ्रमण, फोन कॉल, आईसीटी इत्यादि माध्यम से शिक्षकों को अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

- राज्य संदर्भ व्यक्तियों द्वारा जिले के शिक्षकों को प्रशिक्षण उपरान्त निरन्तर STEM आधारित संबलन (फोन कॉल, विद्यालय भ्रमण) प्रदान करने हेतु जिले के डाइट कार्यालय द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जावें।

3. वित्तीय प्रावधान

टेबल-1					
<ul style="list-style-type: none"> 6 दिवसीय एस.आर.जी प्रशिक्षण (आवासीय प्रशिक्षण) हेतु व्यय मानक 1500 रुपये प्रति संभागी प्रति दिवस, 50 संभागी प्रति बैच के अनुसार, $1500 \times 6 \times 50 = 450000$ 					
क्र.स	गतिविधि	कार्यदिवस	भौतिक लक्ष्य	दर	राशि (रु. में)
1	बैठक व्यवस्था (प्रशिक्षण स्थल, बैठक, आवास व्यवस्था)	6	50	800	240000
2	बिजली, पंखे, कूलर, पेय-जल	6	1	1200	7200
3	चाय, अल्पाहार, भोजन	6	50	300	90000
4	स्टेशनरी संभागियों के लिए (पेन, नोटपैड)	1	50	50	2500
5	सन्दर्भ व्यक्ति मानदेय	6	2	800	9600
6	संभागियों एवं सन्दर्भव्यक्ति का यात्रा भत्ता एवंकिराया	1	50	1800	90000
7	तैयारी बैठक मानदेय	1	3	500	1500
8	शिविर व्यवस्थापक मानदेय	6	1	500	3000
9	विविध (जनरेटर, फोटोकॉपी, साफ-सफाई, लेपटॉप, प्रोजेक्टर)				6200
कुल योग					450000

टेबल-2

- 4 दिवसीय एस.आर.जी प्रशिक्षण (आवासीय प्रशिक्षण) हेतु व्यय मानक
- 1500 रुपये प्रति संभागी प्रति दिवस, 50 संभागी प्रति बैच के अनुसार, $1500 \times 4 \times 50 = 300000$

क्र.स	गतिविधि	कार्यदिवस	भौतिकलक्ष्य	दर	राशि(रु. में)
1	बैठक व्यवस्था (प्रशिक्षण स्थल, बैठक, आवास व्यवस्था)	4	50	700	140000
2	बिजली, पंखे, कूलर, पेय-जल	4	1	1150	4600
3	चाय, अल्पाहार, भोजन	4	50	240	48000
4	स्टेशनरी संभागियों के लिए (पेन, नोटपैड)	1	50	50	2500
5	सन्दर्भ व्यक्ति मानदेय	4	2	800	6400
6	संभागियों एवं सन्दर्भव्यक्ति का यात्रा भत्ता एवं किराया	1	50	1800	90000
7	तैयारी बैठक मानदेय	1	3	500	1500
8	शिविर व्यवस्थापक मानदेय	4	1	500	2000
9	विविध (जनरेटर, फोटोकॉपी, साफ-सफाई, लेपटॉप, प्रोजेक्टर)				5000
कुल योग					300000

टेबल-3

- 4 दिवसीय केआरपी प्रशिक्षण (आवासीय प्रशिक्षण) हेतु व्यय मानक
- 1000 रुपये प्रति संभागी प्रति दिवस, 50 संभागी प्रति बैच के अनुसार, $1000 \times 4 \times 50 = 200000$

क्र.स	गतिविधि	कार्यदिवस	भौतिक लक्ष्य	दर	राशि (रु. में)
1	बैठक व्यवस्था (प्रशिक्षण स्थल, बैठक, आवास व्यवस्था)	4	50	500	100000
2	बिजली, पंखे, कूलर, पेय-जल	4	1	800	3200
3	चाय, अल्पाहार, भोजन	4	50	250	50000
4	स्टेशनरी संभागियों के लिए (पेन, नोटपैड)	1	50	50	2500
5	सन्दर्भ व्यक्ति मानदेय	4	2	800	6400
6	संभागियों एवं सन्दर्भव्यक्ति का यात्रा भत्ता एवं किराया	1	50	600	30000
7	तैयारी बैठक मानदेय	1	3	500	1500
8	शिविर व्यवस्थापक मानदेय	4	1	500	2000
9	विविध (जनरेटर, फोटोकॉपी, साफ-सफाई, लेपटॉप, प्रोजेक्टर)				4400
कुल योग					200000

टेबल-4

- 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण (गैर-आवासीय प्रशिक्षण) हेतु व्यय मानक
- 500 रुपये प्रति संभागी प्रति दिवस, 50 संभागी प्रति बैच के अनुसार, $500 \times 3 \times 50 = 75000$

क्र.स	गतिविधि	कार्यदिवस	भौतिक लक्ष्य	दर	राशि (रु. में)
1	बैठक व्यवस्था (प्रशिक्षण स्थल, बैठक, आवास व्यवस्था)	3	50	150	22500
2	बिजली, पंखे, कूलर, पेय-जल	3	1	800	2400
3	चाय, अल्पाहार, भोजन	3	50	200	30000
4	स्टेशनरी संभागियों के लिए (पेन, नोटपैड)	1	50	50	2500
5	सन्दर्भ व्यक्ति मानदेय	3	2	800	4800
6	संभागियों एवं सन्दर्भव्यक्ति का यात्रा भत्ता एवंकिराया	1	50	150	7500
7	तैयारी बैठक मानदेय	1	3	500	1500
8	शिविर व्यवस्थापक मानदेय	3	1	500	1500
9	विविध (जनरेटर, फोटोकॉपी, साफ-सफाई, लेपटॉप, प्रोजेक्टर)				2300
कुल योग					75000

- जिला स्तरीय मुख्य संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के द्वारा समस्त जिला कार्यालय समग्र शिक्षा को निर्धारित भौतिक लक्ष्य अनुसार राशि आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- जिले को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से अधिक समायोजन एवं प्रशिक्षण मानकों से अधिक व्यय नहीं किया जाए।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा ब्लॉक के भौतिक लक्ष्यानुसार राशि आहरण की सीमा ब्लॉक कार्यालयों को प्रदान की जाएगी।
- प्रशिक्षण व्यवस्थापक एवं शिविर प्रभारी प्रशिक्षण व्यवस्थाओं संबंधित व्यय का रिकार्ड संधारित कर व्यय वाउचर सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला/ब्लॉक कार्यालय को प्रशिक्षण समाप्ति के तुरन्त पश्चात प्रेषित करेंगे।
- संभागी संख्या 50 से कम होने पर अनुपातिक रूप से तदनुसार ही व्यय किया जाए। यह व्यय संकेतात्मक है।
- किसी मद में व्यय परिस्थितियों के अनुसार कम अथवा ज्यादा हो सकता है। समग्र राशि विवरणानुसार ही होगी।
- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जाए।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH Portal (<https://prabandh.education.gov.in>) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- उपरोक्त सारणियों के उपमदों में राशि आवंटन में आंशिक परिवर्तन (Re-appropriation) स्थानीय आवश्यकतानुसार जिला/ब्लॉक/राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा से किया जा सकता है, किन्तु कुल व्यय, दी गई बजट सीमा से अधिक न हो।
- प्रशिक्षण समाप्ति के 10 दिवस में ही प्रशिक्षण संबंधित समस्त व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा के SNA खाते से संबंधित को किया जाना सुनिश्चित करें।

4. जिला/ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन स्थल :

- प्रशिक्षण स्थल का चयन जिला/ब्लॉक मुख्यालय पर जहाँ सभागार/बड़ा कक्ष व समस्त संसाधन की उपलब्धता हो, वहां आयोजित किए जाए।
- प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर प्रति बैच 50 की संख्या में संभागियों का निर्धारण किया जाए।
- प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर विद्युत, प्रॉजेक्टर, कूलर, पेयजल एवं सुविधाएँ आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर संभागियों की संख्यानुसार टीएलएम सामग्री एवं अन्य आवश्यक समस्त सामग्री की उपलब्धता प्रशिक्षण प्रारम्भ के एक दिवस पूर्व ही सुनिश्चित की जाए।
- जिला स्तर पर प्रशिक्षणों हेतु समस्त व्यवस्थाओं के लिए सहायक परियोजना समन्वयक (प्रशिक्षण) समग्र शिक्षा एवं ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सहायक सामग्री जैसे-प्रोजेक्टर, टीएलएम, विज्ञान एवं गणित किट इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

5. राज्य संदर्भ समूह एस.आर.जी. चयन का आधार :

- प्रत्येक जिले से संदर्भ व्यक्ति का चयन अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक व डाइट के समन्वय से किया जाना है।
- ऐसे शिक्षक जिन्होंने आरएससीईआरटी, उदयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रशिक्षक कोर्स को पूर्ण किया है, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाए।
- मॉड्यूल लेखन में भाग लेने वाले एसआरजी को प्रशिक्षण देने हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाए।
- पदस्थापित विद्यालय के अतिरिक्त नजदीक के 1-2 विद्यालयों में स्वेच्छा से शैक्षणिक सहयोग देने के इच्छुक हो।
- विज्ञान/गणित विषय से संबंधित शोध कार्यो का अनुभव हो।
- प्रशिक्षण संबंधित नवाचारी गतिविधियों में रुचि रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की जावें।
- किसी प्रकार की विभागीय जाँच लंबित नहीं हो।
- कम्प्यूटर संचालन (पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन) में समझ रखने वाले को प्राथमिकता दी जाए।
- असाध्य रोग से पीड़ित न हो।

- सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम का समय ना हो।

6. मुख्य संदर्भ व्यक्ति (MT/KRP) चयन का आधार :

- प्रत्येक ब्लॉक स्तर से मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का चयन प्रशिक्षण विवरण की तालिका अनुसार किया जाए। नए एवं अनुभवी शिक्षकों को MT के रूप में शामिल किया जाए।
- ऐसे शिक्षक जिन्होंने आरएससीईआरटी, उदयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन प्रशिक्षक कोर्स को पूर्ण किया है, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाए।
- मॉड्यूल लेखन में भाग लेने वाले एवं एसआरजी प्रशिक्षण प्राप्त को प्रशिक्षण देने हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाए।
- प्रशिक्षण संबंधित नवाचारी गतिविधियों में रुचि रखने वाले व्यक्ति।
- किसी प्रकार की विभागीय जाँच लंबित नहीं हो।
- कम्प्यूटर में पावर पाइन्ट प्रजेन्टेशन संचालन की समझ रखने वाले दक्ष प्रशिक्षक।
- नवाचारी शैक्षिक गतिविधियों की समझ रखने वाले दक्ष प्रशिक्षक।
- सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम का समय ना हो।
- असाध्य रोग से पीड़ित न हो।

7. संभागी का चयन :

- कक्षा 6 से 10 में विज्ञान एवं गणित विषय का अध्यापन कराने वाले कक्षा 6-10 वाले प्रत्येक राजकीय विद्यालय से 2 शिक्षक (एक विज्ञान व एक गणित विषय)।

8. प्रशिक्षण में शिथिलन आधार :

- गर्भवती शिक्षिका संभागियों को।
- ऐसी महिला शिक्षिकाएं जिनके शिशु की आयु 06 माह तक की हो।
- ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 01 वर्ष या इससे कम समय शेष हो।
- ऐसे शिक्षक जो गंभीर रोग से पीड़ित हो, को चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार छूट दी जाए।

- उपर्युक्त मापदण्डों के आधार पर छूट दिये गये कार्मिक के स्थान पर अन्य कार्मिक को नामांकित किया जाए, जिससे आवंटित लक्ष्य प्रभावित ना हो। छूट दिये गये कार्मिक एवं उनके स्थान पर नामांकित संस्थाप्रधान का विवरण स्कूल शिक्षा परिषद/RSCERT को भिजवाया जाए।
- **जन लेखा समिति 2021-22 की सिफारिश अनुसार प्रशिक्षणों में प्रशिक्षणार्थियों की शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जानी है।** अतः शिथिलन मापदण्ड के आधार पर छूट दिए गए कार्मिकों के स्थान पर अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि जिले को आवंटित भौतिक लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति हो सके।
- प्रशिक्षण से शिथिलन का अधिकार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा को अधिकृत किया जाता है। समिति की अभिशंषा एवं उचित दस्तावेज संलग्न करने के पश्चात् ही कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखा जाए। इसकी समस्त जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा की होगी।

9. प्रशिक्षण संचालन समितियां :

प्रशिक्षण के प्रभावी एवं सफल संचालन हेतु निम्न समितियों का गठन किया जाना है :

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम
जिला स्तरीय समिति :		
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	अध्यक्ष एवं जिला नोडल प्रभारी
2	अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	सदस्य सचिव
3	प्रधानाचार्य, डाइट	सदस्य
4	सहायक परियोजना समन्वयक (प्रशिक्षण), एडीपीसी कार्यालय, समग्र शिक्षा	सदस्य
5	कार्यक्रम अधिकारी (प्रशिक्षण), एडीपीसी कार्यालय, समग्र शिक्षा	सदस्य
6	लेखा प्रतिनिधि, एडीपीसी कार्यालय, समग्र शिक्षा	सदस्य
7	तकनीकी प्रभारी-एमआईएस इंचार्ज, एडीपीसी कार्यालय, समग्र शिक्षा	तकनीकी सहायक
ब्लॉक स्तरीय समिति :		
1	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व पदेन खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा	अध्यक्ष एवं ब्लॉक नोडल प्रभारी
2	अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रशिक्षण, समग्र शिक्षा	सदस्य सचिव
3	संदर्भ व्यक्ति (प्रशिक्षण), सीबीईओ कार्यालय, समग्र शिक्षा	सदस्य
4	लेखा प्रतिनिधि, सीबीईओ कार्यालय, समग्र शिक्षा	सदस्य
5	तकनीकी प्रभारी-एमआईएस इंचार्ज, सीबीईओ कार्यालय, समग्र शिक्षा	तकनीकी सहायक

10. समिति के दायित्व एवं भूमिकाएँ :

- जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण स्थलों का चयन करना।
- प्रशिक्षण स्थल पर आवश्यक सहायक सामग्री जैसे – टीएलएम, मॉड्यूल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- निर्धारित समय पर संभागियों की प्रातः एवं सांय की निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना कर उनके कार्य निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु बनाए गये समूहों के अनुसार दक्ष प्रशिक्षकों के सक्षम स्तर से आदेश जारी कराना।
- दक्ष प्रशिक्षक, मेंटर का चयन कर प्रशिक्षण हेतु आदेशित कराना।
- प्रशिक्षणों की प्रभावी मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग टूल के माध्यम से सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण प्रभारियों/व्यवस्थापक को नामित कर आदेश जारी कराना।
- प्रशिक्षण प्रभारियों/व्यवस्थापक से लगातार समन्वयन बनाये रखना।
- प्रशिक्षण पूर्व दिवस को तैयारी बैठक आयोजित कराना।
- प्रशिक्षण दिवसों में कोर-समूह की बैठक आयोजित कराना एवं संबंधित अधिकारियों को सहभागिता हेतु निर्देशित करना।

11. जिला/ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों हेतु निर्देश :

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व पदेन जिला परियोजना समन्वयक, जिला कार्यालय, समग्र शिक्षा द्वारा ब्लॉक कार्यालय को आवंटित लक्ष्यानुसार 50 संभागी प्रति समूह अनुसार संभागियों के आदेश जारी करना।
- अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा से बजट आहरण की स्वीकृति के पश्चात ब्लॉक स्तर पर गठित समिति द्वारा नियमानुसार राशि का उपयोग करना।
- प्रशिक्षण प्रभारी/व्यवस्थापक प्रशिक्षण का उपस्थिति रजिस्टर नियमित रूप से संधारण करें एवं व्यवस्थाओं संबंधी व्यय का रिकार्ड संधारित कर व्यय वाउचर सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रशिक्षण समाप्ति के तुरन्त पश्चात प्रेषित करेंगे।
- प्रशिक्षण स्थल का चयन मौसम, उपलब्ध संसाधन (पंखे, कूलर, पानी, जनरेटर आदि) को ध्यान में रखते हुए किया जाए।
- सीडीईओ द्वारा प्रशिक्षण के आदेश जारी किए जायेंगे तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का पूर्व अवलोकन करते हुए प्रशिक्षण करवाया जायेगा।
- जिला परियोजना कार्यालय एवं डाइट परस्पर समन्वयन से प्रशिक्षण का सफल संचालन करेंगे।
- जिला/ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों में संबंधित आरईआई पार्टनर का आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त करें।

12. मॉनिटरिंग :

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अति. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक), सहायक परियोजना समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रत्येक चरण में आयोजित 4-5 प्रशिक्षणों का अवलोकन करते हुए संबलन प्रदान किया जाए।
- डाइट-प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ व्याख्याता द्वारा प्रत्येक चरण में आयोजित 4-5 प्रशिक्षणों का अवलोकन करते हुए संबलन प्रदान किया जाए।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा भी प्रत्येक चरण में आयोजित 3-4 प्रशिक्षणों का अवलोकन करते हुए संबलन प्रदान किया जाए।
- प्रशिक्षणों के अवलोकन हेतु अवलोकन कर्ताओं को अवलोकन प्रपत्र (गूगल फॉर्म/ऑनलाइन प्रपत्र) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा पृथक से उपलब्ध कराया जाएगा। अवलोकन के दौरान उक्त प्रपत्र को भरना अनिवार्य है।

13. उपस्थिति संधारण :

- प्रशिक्षण शिविर की दैनिक उपस्थिति प्रातः एवं सायं की सूचना ब्लॉक प्रशिक्षण कन्ट्रोलरूम से जिला स्तरीय कन्ट्रोलरूम को निर्धारित प्रपत्र-01 में उपलब्ध कराई जाएगी। जिला स्तर से समस्त प्रशिक्षण शिविरों की उपस्थिति समेकित करते हुए प्रपत्र-02 अनुसार परिषद की प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की ई-मेल आईडी : rajssa.training@gmail.com पर भिजवाई जानी है।
- शिक्षक प्रशिक्षण (प्रारम्भिक स्तर) एवं उपप्राचार्य प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का विवरण शिविर की समाप्ति के अगले दिन निम्न प्रपत्र-3 में आवश्यक रूप से जिला स्तर से समेकित कर भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रपत्र-03 की पूर्ति प्रशिक्षण अवधि के मध्य ही किया जाए।

दैनिक उपस्थिति प्रपत्र

प्रपत्र-01

जिला

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	संभागी का नाम	Employee ID	मो. नम्बर	लिंग		पदस्थापन स्थान	पीईईओ/यूसीईईओ का नाम	हस्ताक्षर	
					M	F			प्रातः	सायं

समंकेत दैनिक उपस्थिति प्रपत्र

प्रपत्र-02

क्र.सं.	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	आमंत्रित संभागी	उपस्थिति संभागी		अनुपस्थित	अनुपस्थित का कारण
				प्रातः	सांय		

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का विवरण प्रपत्र

प्रपत्र-03

S.N.	District	Block	Trainee Name	Gender (M/F)	Employee ID	NIC ID	School/Office Name	School UDISE Code	Date of Training Completion	Email ID	Phone Number

*नोट -प्रपत्र-03 के समस्त कॉलम की पूर्ति English Fontमें Excel Sheet (Soft Copy) में अनिवार्य रूप से करते हुए भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अनुपमा जोरवाल)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

दिनांक :

क्रमांक:-रा.स्कू.शि.प./जय/प्रशिक्षण/04352/2025-26/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय समग्र शिक्षा, जयपुर।
7. जिला प्रभारी, समस्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को भेजकर लेख है कि दिशा-निर्देश को समग्र शिक्षा एवं शाला दर्पण की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
9. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. प्रधानाचार्य, डाइट, समस्त जिले।
13. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
14. UCEE/PEEO, समस्त।
15. कार्यालय प्रति।

RajKaj Ref No.:

17425827

eSign DSC